न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.
Camp- Dulapur Keri

वादपत्र संख्या 46/2018
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

आदराम आत्मज श्री रतीराम आत्मज श्री भगवानाराम, बावरी, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...**वादी**

बनाम

1. रतीराम आत्मज श्री भगवानाराम, बावरी, दुल्लापुरकेरी,
2. लूणाराम उर्फ मनीराम आत्मज श्री रतीराम, बावरी, दुल्लापुरकेरी,
3. श्रीमती सन्तोष आत्मजा श्री रतीराम धर्मपत्नी श्री देवलाल, बावरी, दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं

..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

दिनांक 29 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 6 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8/4 की मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1(0.227), किला नम्बर 10(0.101), किला नम्बर 16(0.007), किला नम्बर 17(0.011), किला नम्बर 24(0.145), किला नम्बर 25(0.038) कुल 0.629 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 17(0.197), किला नम्बर 18(0.253), किला नम्बर 19(0.253), किला नम्बर 20(0.019), किला नम्बर 21(0.019), किला नम्बर 22(0.228), किला नम्बर 23(0.228), किला नम्बर 24(0.071) कुल 1.368 हैक्टर कुल 1.007 हैक्टर(1.699 हैक्टर नहरी एवं 0.328 हैक्टर बारानी) एव इसी खाता की 4.662 हैक्टर कृषि भूमि जो राजेशकुमार व अन्य के नाम पर दर्ज है, में से 0.380 हैक्टर कुल 2.377 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के पूर्वज श्री छोगाराम से विरासतन प्राप्त होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी. जो पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है. इस प्रकार वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का बहिस्सा बराबर बराबर होने से वादी का 1/4 हिस्सा बनता है. उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक एवं अविभाजित सम्पत्ति के रूप में परिवार के मुखिया होने के नाते ही दर्ज है जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता [illegible] पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा [illegible] आ रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 बुरी आदतों का शिकार होकर गलत

सहायक कलक्टर एवं
[illegible]

संगत में होने के कारण प्रश्नगत समस्त कृषि भूमि अन्तरित करने में प्रयासों में गत सप्ताह से भूमि दिखानी आरम्भ कर दी गयी है क्योंकि वह गलत लोगों के अनुचित प्रभाव में है जो सस्ते में ही प्रश्नगत कृषि भूमि को हड़प करने में प्रयासरत हैं. जबकि वादी बिना विभाजन करवाये किसी भी कृषि भूमि के भाग को अन्तरित करने का अधिकारी नहीं है. यदि वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी इसलिये वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है जिसके लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का बार बार आग्रह किया कि वह उक्त 2.377 हैक्टर कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित न करे तथा वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार मानकर राजस्व अभिलखों में दर्ज करवाये किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 अप्रेल, 2018 को साफ इन्कार हो गया. यही वादहेतुक वादपत्र प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो गया है. इस प्रकार चक 6 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8/4 मुरब्बा नम्बर 14 एवं 15 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज 2.377 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आश्य की कि वह विधिवत विभाजन से पूर्व वादी को जबरन स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से बेदखल न करे, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 6 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 चित्रित प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 7 जून, 2018 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 श्री मनीराम पुत्र रत्तीराम, बावरी, दुल्लापुरकेरी को पक्षकार बनायागया है चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 वादी का सगा भाई है तथा घर मे इसे मनीराम के नाम से पुकारा जाता है जबकि इसका वास्तवित एवं अभिलेखों में सही नाम लूणाराम है किन्तु सहवन से वादपत्र टंकित करवाते समय घरुनाम याद होने के कारण मनीराम दर्ज करवा दिया गया है. ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम क आगे मनीराम को विलोपित कर लूणाराम दर्ज करवाया जाना आवश्यक है. इस प्रकार के संशोधन से वादपत्र के उदेृश्य एवं परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है बल्कि प्रकरण का सही निर्णय के लिये ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक है.जिस पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्तिनहीं है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर लूणाराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वार अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः

आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 7 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री भजनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रविकान्त बवेजा द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8031 2174 2389, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5469 1933 1750, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4303 3256 7269 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4230 3162 5271 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– ओड़की में दिनांक 15 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यपक्ष को ध्यान में रखते हुऐ निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नही है. पक्षकारान द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है.

अतः चक 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व
अभिलख जमाबन्दी सम्वत् [illegible] के खाता संख्या 8/4 मुरब्बा
नम्बर 14 एवं 15 की कुल [illegible] हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के
नाम पर दर्ज है जो कि पैतृक सम्पत्ति है जिसके वादी एवं प्रतिवादी
संख्या 1 से 3 ही जायज वारिसान है जिन्हें अतिरिक्त कोई भी अन्य श्री
[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का वारिस नहीं है. ऐसी स्थिति में वादी एवं
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक ¼ हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं.

कार्यवाहक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(भू.अ. [illegible]) श्रीगंगानगर

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 7 जून, 2018 के अनुरूप **वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को** – चक 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 के खाता संख्या 8/4 मुरब्बा नम्बर 14 एवं 15 की कुल 2.377 हैक्टर कृषि भूमि में प्रत्येक का ¼ हिस्सा घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले लोक अदालत कैम्प–हनुमानगढ़ी में आज दिनांक 29 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यपालक दण्डाधिकारी
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर